सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 79/प्रा0पत्र/2024

दायरा दिनांक :–31.05.2024

GCMS ID–2024/79

1. खुम्बाराम आ0 भूरा जाति मीणा निवासी रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. प्यारा आ0 भूरा जाति मीणा निवासी रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. फोरया आ0 भूरा जाति मीणा निवासी रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. माधो आ0 भूरा जाति मीणा निवासी रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 03/03/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 269 पुरान 245 की भूमि खसरा नम्बर 1539/680 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा संख्या 681 रकबा 0.2347 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.0441 हैक्टेयर वाके ग्राम रोशन्दा पटवार मण्डल रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि सिया स्वर्गीय भूरा आ0 रूपा जाति मीणा निवासी रोशन्दा को आंवटन समिति द्वारा भूमिहीन होने से 24.10.1977 को आंवटित की गई थी। उक्त भूमि अभी वर्तमान में गैर खातेदारी में चली आ रही है। प्रार्थी के पिता भूरा जी का स्वर्गवास हो गया है। एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात विरासत के आधार पर उक्त भूमि पर गैर खातेदार के रूप में प्रार्थीगण का नाम अंकित हो चुका है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि पर वर्तमान में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थी के अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन तरमीम के समय आंवटित भूमि पर कब्जे व खसरा नम्बर के अनुसार तरमीम न होकर गलत तरमीम अंकित कर दी गई । मौके की स्थिति के अनुसार उक्त तरमीम नहीं की गई जिसके कारण प्रार्थीगण को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड रहा है। वर्तमान तरमीम व प्रस्तावित तरमीम के नक्शे को हाईलाईट

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

करके नक्शे संलग्न किये जा रहे है। प्रार्थीगण ने कई बार राजस्व अधिकारियों को दुरूस्त करने के लिए निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने की हिदायत दी गई इसलिए अंतिम बार प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2024 को निवेदन किया लेकिन इंकार हो गए यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि की वास्तविक मौका व कब्जे के अनुसार जॉच की जाकर व रिपोर्ट मंगवाई जाकर नक्शे में तरमीम को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। दिनांक 26.04.2024 की कंम्यूटरीकृत जमाबंदी व नक्शा साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है। उक्त तरमीम अधिनस्थ न्यायालय के अधिकारियों द्वारा की गई है अतः श्रीमान को उक्त तरमीम को दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस व उचित तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों की गलत की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर मौके व कब्जे के अनुरूप पत्रावली में प्रस्तुत प्रस्तावित तरमीम के नक्शे के अनुसार तरमीम को दुरूस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो दी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तंहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक :– राजस्व/24/420 दिनांक 17.02.2025 में ग्राम रोशन्दा के खसरा संख्या 1529/680 रकबा 0.8064 हैक्टेयर व खसरा संख्या 681 रकबा 0.2347 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 1539/680 की तरमीम डी0आई0एल0आर0एम0पी0 के अन्तर्गत की गई थी। उक्त खसरे की तरमीम प्रार्थी के खसरे पर नही की गई है। तरमीम दुरूस्ती संलग्न नजरी नक्शे अनुसार खसरा संख्या 1539/680 व खसरा संख्या 680 सिवायचक भूमि के बीच की मेड को वहॉ से हटाकर उत्तर की ओर किया जाना अपेक्षित है इस प्रकार उक्त नक्शे में दर्शाये नुसार खसरा संख्या 680 सिवायचक भूमि उत्तर की ओर व खसरा संख्या 1539/680 की तरमीम दक्षिण दिशा की ओर रहेगी। पेरोकार सरकार द्वारा डी0आई0एल0आर0एम0पी0 में गलत हुई तरमीम को कब्जे अनुसार किया जाना उचित होना जबाव में अंकित किया गया है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।"

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट विवादित भूमि ग्राम रोशन्दा पटवार मण्डल रोशन्दा के खाता संख्या 269 के ख.सं 1539/680 की वर्तमान में गलत हुई तरमीम को निरस्त कर प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना अपेक्षित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 269 के खसरा संख्या 1539/680 ग्राम रोशन्दा पटवार मण्डल रोशन्दा की डी0आई0एल0आर0एम0पी0 के अन्तर्गत राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः खसरा संख्या 1539/680 की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 03.03.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

03/03/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446